न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 59/2021 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री राकेश कुमार त्रिपाठी निवासी 30/213, लक्ष्मी ज्वैलर्स के पास, माणक नगर, भीलवाड़ा।	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा।
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक :22.09.2021

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 13.08.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 52 एफ 390716 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 09.07.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित किया। उक्त आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना तहसील कार्यालय आसीन्द से संबंधित होने से उक्त आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को अंतरित किया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.08.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर निर्णय दिनांक से 15 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा